



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उप्रो सरकार का उपकरण)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2794-पारे0अनु०-16 / पाट्राकालि-2018-74/2013

दिनांक: २७ जुलाई, 2018

निदेशक
पेशन निदेशालय,
इन्हिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक
कोषगार,
कोषगार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
कित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जयाहर भवन,
लखनऊ

विषय: उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिंग, में छठवें वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अपुनरीक्षित वेतनमार्नों में पेशन/पारिवारिक पेशन प्राप्त कर रहे पेशनरों को दिनांक 01.07.2017 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिंग के कार्यालय ज्ञाप सं-3488-पारे0अनु०-16 / पाठ्राइका०लि०-2017-74-2013 दिनांक 22.09.17 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिंग के ऐसे पेशनर/पारिवारिक पेशनर जिनके पेशन/पारिवारिक पेशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित न हो पाने के फलस्वरूप उनके द्वारा छठवें वेतन आयोग (दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी) में निर्धारित पेशन/पारिवारिक पेशन अनुमन्य हो रही है, को उप्रो शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-04/2018/सा-3-112/दस-2018 -301/2000 टी०सी०, लखनऊ दिनांक 05.03.2018 की अनुरूपता में उन्हें अनुमन्य हो रही पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01.07.2017 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत अनुमन्य होगी:-

- तिथि जब से देय है	महंगाई राहत की मासिक दर
01 जुलाई, 2017	मूल वेतन का 139 प्रतिशत

2. मैंहंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उससे अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।
3. छठवें वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अनन्तिम पेशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054- डब्लू०सी०/रा०वि०प०-आ०सं०-१९-१४ (23) एफ-८५, दिनांक 16.06.1998 में निर्णीत आदेशानुसार पेशन पर अतिरिक्त राहत के मुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेशन मुगतान अधिकारियों/सर्वजनिक क्षेत्र के दैनंदिन कोषगारों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाईराहत का मुगतान उपरोक्तानुसार किया जायेगा।
5. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

निदेशक (काठ्रो एवं प्रशान्त)

संख्या : 2794-पारेंटनु०-16/पाकालि/18-74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
9. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेशन), लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइड www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आङ्गा से,



अजय कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव (पारेशन)